कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।

E Mail ID :- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 883 / 21 स्टी दिनांक :- 01 / 04 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय :- **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल में देवियोखाल–डाबरीसैण–डामरीपल्ली–मुग्याखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.989 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निम्रण विभाग को प्रत्यावव्रन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/ UK/ ROAD /14936/2021)**

सन्दर्भ :- **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 08बी/ यू0सी0पी0 / 06 / 145 / 2021 / एफ0सी0 / 1384 दिनांक 10.01.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल आपेक्षित 0.989 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार से है:–

1. ग्राम देवियोंखाल से ग्राम डाबरी पल्ली तक पूर्व से एक मार्ग निर्मित है जिसका स्लोप भी के0एम0एल0 फाईल अनुसार उचित प्रतीत होता है। अतः इसी मार्ग का सुधारीकरण / चौड़ीकरण कर ग्राम डाबरी पल्ली को जोड़ा जा सकता है। अतः राज्य शासन तद्नुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।	1. ग्राम देवियोंखाल से ग्राम डाबरी पल्ली तक पूर्व से एक पैदल मार्ग निर्मित है जो देवियोखाल बाजार के मध्य से होकर मुख्य मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–51) से मिलता है। इस पर मोटर मार्ग निर्माण हेतु पूर्व में विचार किया गया किन्तु ,इस पैदल मार्ग के दोनो ओर पूर्व से ही आवासीय भवन एवं दुकाने निर्मित हैं जहां पर इसकी चौडाई दो से तीन मी0 ही है। इसे मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने हेतु चौडाई न्यूनतम 6 से 7 मी0 की जानी होगी जिसमें लगभग सभी दुकाने एवं मकान हटाये जाने होंगे। इसके अतिरिक्त यह मार्ग सीढी नुमा है जिसका वास्तविक ग्रेड 1/3 से 1/5 का है। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम 1/24 का ग्रेड होना आवश्यक है इस मार्ग का ग्रेड सुधार किया जाता है तो न्यूनतम 4 हेयरपिन बैण्डों का प्राविधान रखना होगा जिससे मोटर मार्ग का संरेखण रास्ते से हटकर सिविल वन भूमि से होकर करना होगा जिसमें यहाँ भी बाँज के पेड प्रभावित होंगे एवं देवियोखाल व डाबरी पल्ली के मध्य गदेरा है जिसपर मोटर पुल बनाना आवश्यक होगा इस प्रकार परियोजना की वित्तीय लागत अत्यधिक हो जायेगी।

2. प्रस्तावित संरेखण में 60 वृक्षों का पातन शामिल है और सभी बांज के वृक्ष है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित मार्ग सिर्फ 1 गांव को जोड़ रहा है। जिसकी आबादी 300 से कम है। अतः बिन्दु सं0 1 के कम में प्रस्तावित मोटर मार्ग को देवियोंखाल से पुनरीक्षित करते हुए पातन किए जाने वाले वृक्षों को 6 मीटर एवं मोड़ों पर 7 मीटर से संशाधित करते हुए पुनरीक्षित जानकारी प्रस्तुत करें।	2. प्रस्तावित संरेखण का दि0 05.03.2022 को दिये गये निर्देशानुसार संरेखण का वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण एवं पेड़ों की गणना का कार्य 6 व 7 मी0 चौड़ाई में किया गया जिसमें बांज के पेड़ो के कुल सं0 44 व चीड के पेड 2 एवं काफल का 1 पेड़ , कुल पेड़ों की संख्या 47 पायी गयी है। प्रस्तावित मार्ग 1 गांव आबादी 300 से कम को जोडता है किन्तु साथ–साथ यह मार्ग (1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाबरी (2) प्राथमिक विद्यालय डाबरी (3) ब्लॉक संसाधन केन्द्र डाबरी (4) उपराजस्व निरीक्षक चौकी पट्टी बदलपुर को भी मोटर मार्ग से जाडेगा ,जो अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रस्तावित संरेखण उचित है।
3. Date not mentioned in FRA of DM. State Govt. may upload the FRA certification mentioning the date.	3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में तिथि दर्ज करवाकर पार्ट–। पैरा k में अपलोड कर दिये गये हैं।
4. Village Level Committee meeting proceedings are not found uploaded, which may be uploaded at para K in Part I.	4. बिन्दु सं0 3 के अनुसार पार्ट–। पैरा k में अपलोड कर दिये गये हैं।
5. Detail of 0-30 cm and 30-60 cm tress is neither submitted at para 4 in part-II nor in Tree enumeration list. State Govt may provide the details of tress in 0-30 cm and 30-60 cm girth class at para 4 in para-II	5. दि0 05.03.2022 को दिये गये निर्देशानुसार संरेखण का वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण एवं पेड़ों की गणना का कार्य किया गया एवं सूची में 0–30 सेमी0 एवं 30–60 सेमी0 के पेड़ों की संख्या का उल्लेख भी किया गया है एवं नई पोर्टल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रस्ताव में स्वीकृति हेतु सूचना अग्रसारित करने का कष्ट करें।

1.4.22

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल

पत्रांक / दिनांक :– /04/2022

1. प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव(वन),उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़ देहरादून।
3. प्रतिलिपि– वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता, प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल